

कार्यालय:- जिला परिषद, लातेहार ।

आम सूचना

एतत् द्वारा प्रखण्ड महुआडांड, बालूमाथ एवं चन्दवा में जिला परिषद कार्यालय से निर्मित दूकानों के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि जिनके द्वारा माह जुलाई 2021 तक व्यवसायिक दूकान का किराया अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा नहीं किया गया उन्हें निश्चित रूप से दिनांक 29/8/2021 तक जमा कर दिया जाना है।

अतः प्रखण्ड महुआडांड, बालूमाथ एवं चन्दवा में आवंटित दूकानदारों को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 30/8/2021 तक अपना दूकान का सम्पूर्ण किराया जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा आवंटित दूकान को रद्द करते हुए लोकमांग वसूली की सुसंगत धाराओं के तहत किराया वसूली किया जाएगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लातेहार।